झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ॰सं॰– 8 / ज॰स॰(नि॰)ल॰सिं॰रांची–05 / 2006 :– / राँची,दिनांकः–

आदेश

श्री दयाशंकर प्रसाद, तत्॰ कनीय अभियंता द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा में पदस्थापन के दौरान बरती गयी अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प सं॰ 4991 दिनांक 30.12.2009 द्वारा असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रांची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं निहित निष्कर्ष के अनुसार श्री प्रसाद तत्॰ कनीय अभियंता के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं उसमें निहित निष्कर्ष की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री दयाशंकर प्रसाद तत्॰ कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा को आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतएव एतत् द्वारा सरकार का उक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।

ह0 / –
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 5033 / राँची, दिनांकः– 20-11-14

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव (प्र॰) जल संसाधन विभाग / अवर सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रांची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / श्री दयाशंकर प्रसाद तत्॰ कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.14
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

20.11.14